इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2020-श्रावण 5, शक 1942

वित्त विमाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2020

क्र.—एफ—8—3—2020—नियम—चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :—

संशोधन

उक्त नियमों में.

1. नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :

परन्तु, किसी आपदा की स्थिति में जो राज्य में घटित होती है और यदि उससे राज्य शासन के स्वयं के कर एवं गैर—कर राजस्व पर गंभीर एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो राज्य सरकार उक्त वेतनवृद्धि को असंचयी आधार पर ऐसी कालावधि के लिये रोक सकेगी जैसा कि राज्य सरकार विशेष आदेश द्वारा विहित करे.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2020 से प्रभावशील होगी.

No.-F-8-3-2020-Rule-IV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of india, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Fundamental Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,

1. After rule 24 the following proviso shall be added,

Provided that, in case of any disaster that occurres in the State and if the own tax and non-tax revenues of the State Government are severely and adversely affected, the Government may withhold the said increment on a non-cumulative basis for such period as may be prescribe by a special order of the State Government.

2. This Notification shall be effictive from 1st April 2020.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुलशन बामरा, सचिव.